अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2021 (GCMS 2021/131)(आईटीआई पोर्टल नं. 212704020287524) नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिह वार्ड संख्या नया 24 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 12.07.2021 को एक बिन्दु सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

> मण्डी रायसिंहनगर में दो वर्ष से निर्माण एजेंसी द्वारा सराय (धर्मशाला) की जगह पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर रिट याचिका संख्या 626/2020 से सम्बन्धित उच्चत न्यायालय, जोधपुर द्वारा जिला कलक्टर को जिला कलक्टर द्वारा एसडीएम को, एसडीएम द्वारा लाजपत ईओ को अवगत करवाने के बावजूद भी निर्माण कार्य चल रहा है।
>
> इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए किस सम्बन्धित विभाग की जुम्मेवारी है, उस का नाम व पता की प्रमाणित प्रति दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2021/1015 दिनांक 14.09.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी की अपील का सम्बन्ध नगरपालिका, रायसिंहनगर से होने के कारण, उसकी अपील अधिशाषी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर को भिजवाई गई है और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 2170—7171 दिनांक 05.08.2021 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को आवेदन कर सूचना चाही गई है, जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रश्न	प्रतिउत्तर
1	मण्डी रायसिंहनगर में दो वर्ष से निर्माण एजेंसी द्वारा सराय (धर्मशाला) की जगह पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर रिट याचिका संख्या 626/2020 से सम्बन्धित उच्चत न्यायालय, जोधपुर द्वारा जिला कलक्टर को जिला कलक्टर द्वारा एसडीएम को, एसडीएम द्वारा लाजपत ईओ को अवगत करवाने के बावजूद भी निर्माण कार्य चल रहा है।	प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिट याचिका 626/2020 के तहत मांगी गई है, या सामान्य रूप से चाही गई है, स्पष्ट नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि निर्माण एजेंन्सी द्वारा कौनसी जगह पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतः सूचना देय नहीं है।
2	इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिस सम्बन्धित विभाग की जुम्मेवारी है, उस का नाम व पूरा पता की प्रमाणित प्रति दी जावे।	

-sd-
(लाजपत बिश्नोई)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया गया है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो अधिशाषी अधिकारी, नगापालिका, रायसिंहनगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एंव अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested